सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

3 आश्विन, 1947 (श०)

संख्या - 442 राँची, गुरुवार, 25 सितम्बर, 2025 (ई०)

मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ।

(समन्वय)

अधिसूचना

24 सितम्बर, 2025

जी॰एस॰आर॰..**1216**--भारतीय संविधान के अनुच्छेद 166 के खण्ड (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, एतद् द्वारा झारखण्ड के मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना संख्या-07, दिनांक 16 नवम्बर, 2000 द्वारा गठित झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

झारखण्ड कार्यपालिका नियमावली, 2000 (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची अन्तर्गत महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग, झारखण्ड के कार्यदायित्व की कंडिका-16(xvi) के उपरांत कंडिका-16(xvii) "हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों (Manual Scavenger) से सम्बन्धित विषय" अंतःस्थापित किया जाता है ।

2. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रवृत्त समझी जायेगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

वंदना दादेल,
सरकार के प्रधान सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 442 - 50